न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 19/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/84

अनवान्

1. श्री तेजशंकर पिता गोरधन जी ब्राह्मण निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री पुष्करलाल पिता गोरधन जी ब्राह्मण निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रार्थीगण

वनाम

1. श्री प्रेमशंकर पिता अर्जुनलाल जी ब्राह्मण निवासी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षी

उपस्थित–1. श्री फारूक मोहम्मद, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुशील जैन, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–22.07.2024

1. प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्ररतुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मोजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर भू अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खसरा न. 8867/2811 किता 1 रकवा 0.0900 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम हिस्सा बरावर से अंकित है। उक्त वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से का प्रार्थी स. 1 एवं 1/2 हिस्से का प्रार्थी स. 2 खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं। प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार खालदेार काश्तकार होकर उक्त भूमि में विपक्षी का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकर एंव आधिपत्य नही हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजी में विपक्षी का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकर एवं आधिपत्य नहीं है लेकिन विपक्षी प्रार्थीगण का उक्त खातेदारी की भूमि में आए दिन दखलनदाजी करता है तथा कभी घास तो कभी बाड को तो कभी पेडों को तो कभी फसल को नुकसान पहूंचाता हैं और प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करता है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने ... किया।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस ... किया गया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब व विशेष कथन पेश किये गये जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ... ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर के आराजी संख्या 8867/2811 किता 1 रकवा 0.0900 है. भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में. प्रार्थीगण के नाम पर गलत दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:26:33 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त भूमि के साविक आराजी संख्या 2444 व 2446/1 है, उक्त भूमि विगत 83 वर्षो से विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य में हैं साथ ही राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी संख्या 925 रकबा 0.14 बीघा व आराजी संख्या 935 रकबा 0.17 बीघा जिसमें विपक्षी का 1/4 वॉ हिस्सा होकर उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके पिता श्री अर्जुनलाल जी के नाम पर दर्ज है, श्री अर्जुनलाल जी की मृत्यु हो चुकी है और उनका विपक्षी ही एकमात्र वारिस है। उक्त आराजी संख्या 925 व 935 की भूमि पर भाई बंटवाडे से प्रार्थीगण का विगत 83 वर्षो से आधिपत्य है और उनके कब्जेकाश्त में होकर उनके द्वारा ही उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम व हिस्से की भूमि विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य में है और विपक्षी के पिता के नाम दर्ज भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में है। उक्त स्थितियों के कारण से ही विपक्षी ने आप माननीय न्यायालय में एक वाद बावत् घोषणा व निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कर प्रस्तुत कर रखा है, जिस वाद के प्रकरण संख्या 66/2022 रे.वा. होकर वर्तमान लम्बित होकर विचाराधीन हैं।

3. यह कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है लेकिन प्रार्थीगण उक्त भूमि के काश्तकार व आधिपत्यधारी नहीं है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर पिछले करीबन 83 वर्षो से विपक्षी व उसके पूर्वाधिकारियों के कब्जे काश्त में है जो भूमि विपक्षी को आपसी भाई बंटवाडे में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार आराजी संख्या 925 रकबा 0.14 बीघा व आराजी संख्या 935 रकबा 0.17 बीघा की भूमि जिसमें विपक्षी का 1/4 वॉ हिस्सा होकर उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके पिता श्री अर्जुनलाल जी के नाम पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका विपक्षी ही एकमात्र वारिस है। उक्त आराजी संख्या 925 व 935 की भूमि पर भाई बंटवाडे से प्रार्थीगण का विगत 83 वर्षो से आधिपत्य है और उनके कब्जेकाश्त में होकर उनके द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम व हिस्से की भूमि विपक्षी के स्वामीत्व व आधिपत्य में है और विपक्षी के पिता के नाम पर दर्ज भूमि प्रार्थीगण के स्वामीत्व व आधिपत्य में है। प्रार्थनागत आराजीयात में मूल पुरूष श्री पूर्णाशंकर जी थे तथा उनके पुत्र रमाशंकर व मोती थे, इन दोनो को आपसी भाई बंटवाडे में पिछले करीबन 83 वर्ष पूर्व भूमियॉ दी गई थी जिसमें प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित उक्त भूमि विपक्षी के पूर्वाधिकारियों को प्राप्त हुई हैं एवं आराजी संख्या 925 व 935 की भूमि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों को प्राप्त हुई हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी के पूर्वजों एवं उनके बाद प्रार्थीगण व विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। मात्र राजस्व अभिलेखों में विपक्षी के पूर्वजों का नाम अंकन होने से रह गया है जिस बावत आप माननीय न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस चरण में वर्णित अन्य कथन झूंठे, मनगढन्त वेबुनियाद है। विपक्षी से हडपने की नियत से व विपक्षी से नाजायज कब्जा प्राप्त करने की गरज से प्रार्थीगण ने मिथ्या व आधारहीन कथन अंकित किये है जबकि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा व आधिपत्य नहीं रहा है। विपक्षी व उनके पूर्वाधिकारी करीबन 83 वर्षो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:26:33 IST
Reason: SelfAttested

से उक्त भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल विपक्षी के पूर्वजों द्वारा बनवाई गई है जिसको विपक्षी का नाम लिखा हुआ है। विपक्षी द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खुलासा प्रकरण संख्या 11/2018 रे.वा. में वर्ष 2018 में ही कर दिया था। इस प्रकार उक्त भूमि पर विपक्षी के पूर्वाधिकारियों व विपक्षी का आधिपत्य लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों ने कभी कोई विवाद नहीं किया। क्योंकि उनको भली प्रकार से इस तथ्य का ज्ञान था कि आपसी भाई बंटवाडे में उक्त भूमि विपक्षी के पूर्वाधिकारियों व विपक्षी की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

   i. **प्रथम दृष्टया मामला** :–वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी से अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन कहा की विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में दखलंदाजी करते है, बाड, फसल, पेड को नुकसान पहुँचाते है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से दर्ज है जबकि उक्त भूमि पर विगत 83 वर्षो से विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य में हैं। विपक्षी द्वारा बताया कि राजस्व ग्राम भीण्डर की आराजी संख्या 925 रकबा 0.14 बीघा व आराजी संख्या 935 रकबा 0.17 बीघा की भूमि जिसमें विपक्षी का 1/4 वॉ हिस्सा होकर उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके पिता श्री अर्जुनलाल जी के नाम पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका विपक्षी ही एकमात्र वारिस है। उक्त आराजी संख्या 925 व 935 की भूमि पर भाई बंटवाडे से प्रार्थीगण का विगत 83 वर्षो से आधिपत्य है और उनके कब्जेकाश्त में होकर उनके द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण [illegible] विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य में है और विपक्षी के पिता के [illegible] के स्वामित्व व आधिपत्य में है। इस बावत् एक वाद घोषणा व [illegible] संख्या 66/2022 होकर वर्तमान में विचाराधिन हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया [illegible] पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है किन्तु विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर पिछले करीबन ~~83~~ वर्षो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:26:33 IST
Reason: SelfAttested

से काबिज होकर काश्त करना बताया तथा अन्य आराजी न. 925, 935 जो विपक्षी के पिता के नाम अंकित हैं उस पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर काश्त करना बताया तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम गलत अंकित होने से विपक्षी द्वारा अन्य रेवेन्यु वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का जिसके प्रकरण संख्या 66/2022 वर्तमान में विचाराधिन है इस बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में प्रतित होने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

II. **अपूरणीय क्षति** :–प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन** :–प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी से अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन कहा की विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में दखलंदाजी करते हैं, बाड, फसल, पेड को नुकसान पहुँचाते है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से दर्ज है जबकि उक्त भूमि पर विगत 83 वर्षो से विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य में हैं। विपक्षी द्वारा बताया कि राजस्व ग्राम भीण्डर की आराजी संख्या 925 रकबा 0.14 बीघा व आराजी संख्या 935 रकबा 0.17 बीघा की भूमि जिसमें विपक्षी का 1/4 वॉ हिस्सा होकर उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके पिता श्री अर्जुनलाल जी के नाम पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका विपक्षी ही एकमात्र वारिस है। उक्त आराजी संख्या 925 व 935 की भूमि पर भाई बंटवाडे से प्रार्थीगण का विगत 83 वर्षो से आधिपत्य है और उनके कब्जेकाश्त में होकर उनके द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम व हिस्से की भूमि विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य में है और विपक्षी के पिता के नाम पर दर्ज भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में है। इस बाबत एक वाद [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा जिसके प्रकरण संख्या 66/2022 होकर वर्तमान में विचाराधिन हैं। इस प्रकार हमने पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है किन्तु विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर [illegible] करीबन 83 वर्षो से काबिज होकर काश्त करना बताया तथा अन्य आराजी न. 925, 935 [illegible] विपक्षी के पिता के नाम अंकित हैं उस पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर काश्त करना बताया तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम गलत अंकित होने से विपक्षी द्वारा अन्य रेवेन्यु वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का जिसके प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:26:33 IST
Reason: SelfAttested

66/2022 वर्तमान में विचाराधिन है इस बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जाएगा। यहाँ हमे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णित करने के लिये तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणनीय क्षति के बिन्दु ही तय करने है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जाएगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जा चुके है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर भू अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 557 की आराजी न. 8867/2811 किता 1 रकबा 0.0900 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मोके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:26:33 IST
Reason: SelfAttested